अधिसूचना   नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 5/2016-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि._____(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति और विस्तार तक और संशोधन करती है, अर्थात् :--

सारणी

क्रम.सं0	अधिसूचना सं0 और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	56/02-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 14 नवम्बर, 2002 [सा.का.नि. सं0 764(अ), तारीख 14 नवम्बर, 2002]	उक्त अधिसूचना के पैरा (5) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- "6. इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट निम्नलिखित को लागू नहीं होगी : (क) स्वर्ण डोरे, रजत डोरे या किसी अन्य कच्ची सामग्री से परिष्कृत स्वर्ण या रजत के उत्पादन में लगी कोई नई औद्योगिक इकाई, जिसने 1 मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया है ; (ख) तारीख 1 मार्च, 2016 को कोई विद्यमान औद्योगिक इकाई, जो स्वर्ण डोरे, रजत डोरे या किसी अन्य कच्ची सामग्री से परिष्कृत स्वर्ण या रजत के उत्पादन के लिए अपनी विद्यमान क्षमता में सारवान् विस्तार आरंभ करती है या नए संयंत्र, मशीनरी या पूंजी माल का प्रतिष्ठापन करती है, और ऐसी विस्तारित क्षमता या ऐसे नए संयंत्र, मशीनरी या पूंजी मालों का उपयोग करते हुए 1 मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् ऐसी विस्तारित

		क्षमता या ऐसे नए संयंत्र, मशीनरी या पूंजी मालों से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करती है ।"
2.	57/02-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 14 नवम्बर, 2002 [सा.का.नि. सं0 765(अ), तारीख 14 नवम्बर, 2002]	उक्त अधिसूचना के पैरा (4) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- "5. इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट निम्नलिखित को लागू नहीं होगी : (क) स्वर्ण डोरे, रजत डोरे या किसी अन्य कच्ची सामग्री से परिष्कृत स्वर्ण या रजत के उत्पादन में लगी कोई नई औद्योगिक इकाई, जिसने 1 मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया है ; (ख) तारीख 1 मार्च, 2016 को कोई विद्यमान औद्योगिक इकाई, जो स्वर्ण डोरे, रजत डोरे या किसी अन्य कच्ची सामग्री से परिष्कृत स्वर्ण या रजत के उत्पादन के लिए अपनी विद्यमान क्षमता में सारवान् विस्तार आरंभ करती है या नए संयंत्र, मशीनरी या पूंजी माल का प्रतिष्ठापन करती है, और ऐसी विस्तारित क्षमता या ऐसे नए संयंत्र, मशीनरी या पूंजी मालों का उपयोग करते हुए 1 मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् ऐसी विस्तारित क्षमता या ऐसे नए संयंत्र, मशीनरी या पूंजी मालों से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करती है ।"
3.	20/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 25 अप्रैल, 2007 [सा.का.नि. सं0 307(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2007]	उक्त अधिसूचना के पैरा (7) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- "8. इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट निम्नलिखित को लागू नहीं होगी : (क) स्वर्ण डोरे, रजत डोरे या किसी अन्य कच्ची सामग्री से परिष्कृत स्वर्ण या रजत के

		उत्पादन में लगी कोई नई औद्योगिक इकाई, जिसने 1 मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया है ; (ख) तारीख 1 मार्च, 2016 को कोई विद्यमान औद्योगिक इकाई, जो स्वर्ण डोरे, रजत डोरे या किसी अन्य कच्ची सामग्री से परिष्कृत स्वर्ण या रजत के उत्पादन के लिए अपनी विद्यमान क्षमता में सारवान् विस्तार आरंभ करती है या नए संयंत्र, मशीनरी या पूंजी माल का प्रतिष्ठापन करती है, और ऐसी विस्तारित क्षमता या ऐसे नए संयत्र, मशीनरी या पूंजी मालों का उपयोग करते हुए 1 मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् ऐसी विस्तारित क्षमता या ऐसे नए संयंत्र, मशीनरी या पूंजी मालों से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करती है ।"
4.	01/10-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 6 फरवरी, 2010 [सा.का.नि. सं0 62(अ), तारीख 6 फरवरी, 2010]	उक्त अधिसूचना के पैरा (10) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- "11. इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट निम्नलिखित को लागू नहीं होगी : (क) स्वर्ण डोरे, रजत डोरे या किसी अन्य कच्ची सामग्री से परिष्कृत स्वर्ण या रजत के उत्पादन में लगी कोई नई औद्योगिक इकाई, जिसने 1 मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया है ; (ख) तारीख 1 मार्च, 2016 को कोई विद्यमान औद्योगिक इकाई, जो स्वर्ण डोरे, रजत डोरे या किसी अन्य कच्ची सामग्री से परिष्कृत स्वर्ण या रजत के उत्पादन के लिए अपनी विद्यमान क्षमता में सारवान् विस्तार आरंभ करती है या नए संयंत्र, मशीनरी या पूंजी माल का प्रतिष्ठापन करती है, और ऐसी

		विस्तारित क्षमता या ऐसे नए संयंत्र, मशीनरी या पूंजी मालों का उपयोग करते हुए 1 मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् ऐसी विस्तारित क्षमता या ऐसे नए संयंत्र, मशीनरी या पूंजी मालों से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करती है ।"

(फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू)

(क. कालिमुत्तु)
अवर सचिव, भारत सरकार